

बैठक में प्रमुख अधिकारी व प्रतिनिधि रहे मौजूद

विद्यार्थियों से संवाद कर परखी शैक्षणिक गुणवत्ता

अतएव इस सूचना के माध्यम से मैं सिद्धार्थ पटेल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौरज जिला पाण्डुवा (म०प्र०) एवं सखम अधिकारी म०प्र० ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम 2014 के नियम 21 में प्रदेष्ट शर्क्यां को प्रयोग में लाते हुए पदद्वारा इस भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को नियत दिनांक 03.08.2026 के भीतर कारण बताते की अपेक्षा करता हूँ कि क्या न उक्त भूमि का प्रवेष्ट म०प्र० शासन के अधिकारी में ले लिया जाए।
अन्य दिनांक 17.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय को पदमुद्रा से जारी किया गया।

(सिद्धार्थ पटेल)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
सौरज जिला पाण्डुवा